न्यायालय तहसीलदार, ब्यावर, जिला–अजमेर (राज.)

राजस्व मुकदमा नम्बर – 99/2019

सरकार जरिये पटवारी हल्का देलवाड़ा

बनाम

श्री सुलेमान शेख पुत्र अहमद शेख, जाति–शेख मुसलमान, निवासी–शेरा की वावड़ी, देलवाड़ा

मुकदमा अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक : 12/11/19

सारांशतः प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम–देलवाड़ा, पटवार मण्डल–देलवाड़ा, तहसील–ब्यावर के खसरा नम्बर 1591/2 कुल रकवा 119–11–10 किस्म–दांती में से रकवा 00–01–00 सरकारी चरागाह भूमि पर श्री सुलेमान शेख पुत्र अहमद शेख, जाति–शेख मुसलमान, निवासी–शेरा की वावड़ी, देलवाड़ा ने अवैध रूप से मकान वनाकर अतिचार करने पर पटवारी हल्का देलवाड़ा ने उक्त अतिक्रमी के विरूद्ध धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट पटवारी के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया।

मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद अवलोकन पाया गया कि अप्रार्थी उपस्थित, लेकिन किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है। ऐसी स्थिति में अतिक्रमी द्वारा किया गया अतिक्रमण से वेदखल किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम–देलवाड़ा की सरकारी चरागाह भूमि के ख.नं. 1591/2 पर अप्रार्थी द्वारा किये गये अवैध रूप से मकान वनाकर रकवे से वेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा भू.अ.निरीक्षक/हल्का पटवारी को आदेश दिये जाते है कि अतिक्रमित भूमि पर अवैध कब्जे पर पत्थर आदि कोई सामग्री पडी हो तो जब्त सरकार कर नियमानुसार नीलामी की कार्यवाही करे तथा फर्द नीलामी वास्ते स्वीकृती हेतु पेश करे। साथ ही अतिचारी पर वार्षिक लगान रू. 0.30 का पचास गुना राउंड फीगर राशि रू. 50/– पेनल्टी कायम की जाती है।

तहसील राजस्व लेखाकार/हल्का पटवारी /भू.अभिलेख निरीक्षक को कब्जा/वेदखली/ ध्वस्त कार्यवाही/जब्ती/नीलामी/डिमाण्ड कायमी/वसूली आदि की रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु पृथक से लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। वाद कार्यालय कार्यवाही की जावे।

तहसीलदार ब्यावर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2020.01.24 15:05:12 IST
Reason: SelfAttested